विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैः

प्रस्तावनाः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप,

अध्याय–1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप,

अध्याय–2: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा के निर्माण एवं परिचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा,

अध्याय–3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप, और

अध्याय–4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर तीन अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 4,112.99 करोड़ है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को, छत्तीसगढ़ में 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे जिनमें एक सांविधिक निगम एवं 25 सरकारी कम्पनियाँ (जिनमें तीन गैर कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सम्मिलित है) सम्मिलित थी, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती थी। इस प्रतिवेदन में 18 पीएसयूज को जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक समय से बकाया नहीं है अथवा कार्यरत थे/परिसमापन के अधीन नहीं थी, शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल कार्यरत पीएसयूज ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 28,802.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर छत्तीसगढ़ के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9.87 प्रतिशत के बराबर था। आठ पीएसयूज (सभी सरकारी कम्पनियाँ) जिनका निवेश ₹ 394.63 करोड़ है, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं है।

(कंडिका 1 एवं 2)

1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, वर्ष 2017–18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 20,024.86 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 6.87 प्रतिशत के बराबर था एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

(कंडिका 1.1)

छत्तीसगढ़ शासन की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक, पाँच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 20,103.80 करोड़ था। कुल निवेश में पूँजी 32.79 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋण 67.21 प्रतिशत सम्मिलित था। इसमें से छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) ने ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयूज में ₹ 6,744.28 करोड का निवेश किया, जिसमें पूँजी ₹ 6,591.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 152.44 करोड़ था ।

(कंडिका 1.4 एवं 1.8)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 187.84 करोड़ की हानि के विरूद्ध 2017–18 में अर्जित लाभ ₹ 64.82 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, तीन पीएसयूज ने ₹ 489.52 करोड़ का लाभ कमाया तथा दो पीएसयूज को ₹ 424.70 करोड़ की हानि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को ₹ 421.76 करोड़ की अत्यधिक हानि हुई।

(कंडिका 1.9)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश का 31 मार्च 2018 तक वर्तमान मूल्य ₹ 15,781.41 करोड़ है। वर्ष 2008–09 से 2011–12 (2009–10 को छोड़कर) के दौरान चार ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की कुल लाभदायकता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये गये निवेश की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से बहुत कम रहा। इसके अतिरिक्त, 2012–13 से 2015–16 के दौरान इन पीएसयूज की वर्ष की कुल आय ऋणात्मक रही जो यह इंगित करता है कि निवेशित धन पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय, इन पीएसयूज ने सरकार के धन की लागत भी नहीं वसूली। इन चार पीएसयूज द्वारा 2017–18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल ₹ 946.47 करोड़ की जगह केवल ₹ 67.76 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया।

(कंडिका 1.11)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2018 तक, दो पीएसयूज की संचित हानि ₹ 6,839.32 करोड़ थी। इन दो पीएसयूज में से, एक पीएसयू (सीएसपीडीसीएल) को वर्ष 2017–18 में ₹ 421.76 करोड़ की हानि हुई एवं एक पीएसयू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) को वर्ष 2017–18 में हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचित हानि ₹ 843.04 करोड़ थी। चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के निवल मूल्य (–)₹ 3,733.18 करोड़ से ₹ 2,263.10 करोड़ के पूँजी का निवेश एवं ₹ 86.42 करोड़ के सरकारी ऋण का पूर्णतया क्षरण कर दिया। 31 मार्च 2018 के अंत में सीएसपीजीसीएल के लिए ₹ 1,971.26 करोड़ का निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी ₹ 2,814.30 करोड़ से कम था।

(कंडिका 1.12)

पूँजी पर प्रतिफल

लाभ कमाने वाले तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था, के लिए अवधि 2015–16 से 2017–18 के दौरान पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) 12.52 प्रतिशत से 12.76 प्रतिशत के मध्य रहा।

(कंडिका 1.14)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानियों में कमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड के लाभों में वृद्धि के कारण ब्याज एवं करो से पूर्व की आय (इबीआईटी) में वृद्धि के कारण आरओसीई 2015–16 में 6.63 प्रतिशत से सुधार होकर 2017–18 में 11.77 प्रतिशत हो गया।

(कंडिका 1.15)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरूद्धार

उदय के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने 2015–16 की अवधि के दौरान ₹ 1,153.60 करोड़ के कुल बकाया ऋण के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण ₹ 870.12 करोड का अनुदान देकर कर किया था। हॉलांकि, उदय के अंतर्गत परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में निष्पादन संतोषजनक नहीं था। डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग की लिये कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मीटरिंग, फीडर मीटरिंग एवं फीडर पृथक्करण के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, 18 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य डिस्कॉम की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि 2017–18 तक 19.07 प्रतिशत थी। अतः राज्य डिस्कॉम एटीएंडसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

(कंडिका 1.19.3 एवं 1.19.4)

लेखों की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के बीच अंतिम रूप दिये गये सभी पाँच लेखों को मर्यादित घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, एक पीएसयूज के लेखों में लेखा मानकों की अनुपालन नही करने के दो प्रकरण थे।

(कंडिका 1.20)

2. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह, मड़वा का निर्माण एवं परिचालन

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन (एफआर) के आधार पर राज्य के जाँजगीर–चाँपा जिले के मड़वा ग्राम में कोयला आधारित 2x500 मेगावाट की ग्रीन फील्ड विद्युत परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (मार्च 2005)। व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान 15,146.04 मिलियन यूनिट (एमयू) की मांग के विरुद्ध 11,011.32 मिलियन यूनिट की उपलब्धता थी जो कि वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 31,527.24 मिलियन यूनिट के विरुद्ध 33,945 मिलियन यूनिट होगी।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 5,119.84 करोड़ थी जो कि 30 नवम्बर 2012 को पूर्ण की जानी थी। जो कि तीन वर्ष आठ माह के अधिक समय तथा 31 मार्च 2019 तक ₹ 3,772.67 करोड़ की अधिक लागत के साथ 31 जुलाई 2016 को पूर्ण किया गया। बाद में सितम्बर 2018 में परियोजना का नाम बदलकर, ''अटल बिहारी वाजपेयी तापीय विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस)'' रखा गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा की मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नवत हैः

नियोजन

डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार के कार्य क्षेत्र के अनुसार, सलाहकार द्वारा मानचित्रों का डेस्क–टॉप अध्ययन किया जाना था। डीपीआर के अनुसार 80 प्रतिशत भूमि बंजर व 20 प्रतिशत कृषि भूमि थी। जिसके लिए विस्तृत सर्वेक्षण नही किया गया था। कम्पनी ने कुल 1,728.73 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जिसमें से सिर्फ 283.77 एकड़ (16.41 प्रतिशत) भूमि बंजर थी तथा शेष 1,444.96 एकड़

(83.59 प्रतिशत) कृषि भूमि थी। परिणामतः पुनर्वास व पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) के 15 प्रकरण, भू–विस्थापितों का विरोध, हड़ताल, कामरोको, तालाबंदी जैसी घटनायें हुई जिससे परियोजना के कार्य में रुकावटें आई।

यह भी देखा गया कि कम्पनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी), भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित सीमा 1,254.76 एकड़ के विरूद्ध कुल 1,728.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। जो निर्धारित सीमा से 38 प्रतिशत अधिक थी जिसके लिए एमओईएफ एण्ड सीसी से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा जिसके कारण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अधिक भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में ₹ 63.32 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.6.1)

अनुबंध प्रबंधन

कम्पनी ने इंजीनियरिंग, क्रय एवं निर्माण (इपीसी) अनुबंध के आधार पर बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर (बीटीजी–मुख्य संयंत्र) और संयंत्र का शेष कार्य (बीओपी–सहायक कार्य) से संबंधित ₹ 3,890.62 करोड़ मूल्य के दो मुख्य अनुबंधों को क्रियान्वित किया।

मेसर्स डेवलपमेन्ट कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (सलाहकार) को एबीवीटीपीएस के लिए परियोजना क्रियान्वयन प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार ने 60 किलोग्राम/मीटर रेल की आवश्यकता के अनुरुप के स्थान पर 52 किलोग्राम/मीटर रेल के लिए इन–मोशन वे–ब्रिज के लिए डिजाईन स्वीकृत किया। इन–मोशन वे–ब्रिज की विशिष्टताओं में असंगति होने के कारण इसकी स्थापना अभी तक (मई 2019) नहीं हो सकी। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, ₹ 1,681.52 करोड़ मूल्य का कोयला खरीदा गया किन्तु मार्ग में हुए नुकसान को इसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं मापा जा सका।

बीटीजी और बीओपी अनुबंध (95/90 प्रतिशत अग्रिम का जारी करना) में अव्यवहारिक भुगतान की शर्तों के कारण कम्पनी ने आपूर्ति की गई सामग्री को निर्माण कार्य से बिना लिंक किये निर्माण कार्य मैन्युअल के अनुज्ञेय 75 प्रतिशत की सीमा के विरूद्ध स्थल पर सामग्री प्राप्त करने पर आपूर्ति के लिए ₹ 2,600.42 करोड़ का अग्रिम भुगतान जारी किया। तदुपरांत, ठेकेदार ने निर्माण कार्य को पूर्ण करने में कम रूचि दिखायी। इस प्रकार, निर्धारित पूर्णता तिथि (नवम्बर 2012) तक सिर्फ 36.82 प्रतिशत/40.37 प्रतिशत निर्माण कार्य हुआ था।

कम्पनी ने मेसर्स भेल को सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 276.75 करोड़ ब्याज मुक्त अग्रिम तथा ₹ 25.40 करोड़ ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम जारी किया। परिणामस्वरूप, मेसर्स भेल को अनुचित लाभ दिया तथा कम्पनी को ₹ 87.66 करोड़ की वसूली योग्य ब्याज की हानि हुई। यद्यपि, मोबिलाईजेशन अग्रिम को कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया था किन्तु परियोजना समय में पूर्ण नहीं हुई।

(कंडिका 2.7, 2.7.1.1, 2.7.2 एवं 2.7.3)

परियोजना का क्रियान्वयन

परियोजना की इकाई–1 तथा 2 क्रमशः 42 और 44 महीने के विलंब से चालू हो सकी जिसका मुख्य कारण अनुबंध के निष्पादन, सामग्री की आपूर्ति, बीटीजी सिविल कार्य प्रदान करने और पूर्ण करने तथा बीओपी समझौते के अंतर्गत सुविधाओं को पूर्ण करने में विलंब का होना था। इसके परिणामस्वरुप 16,440.07 मिलियन यूनिट की उत्पादन

हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 4,438.82 करोड़ था, पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के ऋण पर मिलने वाली ₹ 17.95 करोड़ के ब्याज की छूट से वंचित होना पड़ा तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को ₹ 315.92 करोड़ की उच्च दर पर विद्युत के क्रय पर परिहार्य व्यय करना पड़ा।

31 मार्च 2019 तक कम्पनी द्वारा परियोजना पर ₹ 5,119.84 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 8,892.51 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित लागत) और इस प्रकार कम्पनी को ₹ 3,772.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा जिसका मुख्य कारण ऋण पर निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी), मुख्य और सहायक संयंत्र की लागत, भूमि अधिग्रहण की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय इत्यादि में वृद्धि का होना था।

(कंडिका 2.8.1, 2.8.2 एवं 2.8.3)

परिचालनात्मक निष्पादन

विद्युत संयंत्र की दोनों इकाईयों के चालू होने के बाद भी कम्पनी कम से कम 850 मेगावाट प्रति घण्टा (85 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फेक्टर) विद्युत उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही यह केवल 575 मेगावाट प्रतिघण्टा ही उत्पादन कर सकी। तदानुसार, 6,345.53 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की कमी रही, जिसका मूल्य ₹ 1,713.29 करोड़ था, प्रबंधन द्वारा आऊटेजों की उच्च दर के जो कारण पहचाने और प्रतिवेदित किये गये थे उनमें दोषपूर्ण टरबाइन की स्थापना, स्पेयर जीटी की अनुपलब्धता और निष्प्रभावी ओवरहॉलिंग प्रमुख है। खराब परिचालनात्मक निष्पादन के परिणामस्वरुप निर्धारित मानदण्डों से अधिक फ्यूल ऑयल की खपत होने से ₹ 47.72 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, निर्धारित मानदण्डों से अधिक स्टेशन हीट दर रही जिससे ₹ 37.69 करोड़ मूल्य के 1.54 लाख मीट्रिक टन कोयले की अधिक खपत हुई।

(कंडिका 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 एवं 2.9.7)

पर्यावरण संबंधी मामले

कम्पनी ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा निर्धारित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और मानदण्डों के प्रावधानों का पालन नही किया, जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

संयंत्र में 200 एमजी/एनएम^3 के मानदण्ड के विरुद्व 52 अवसरों पर सल्फर डाई ऑक्साइड का स्तर 202.10 एमजी/एनएम^3 और 246.15 एमजी/एनएम^3 (1.05 प्रतिशत से 23.08 प्रतिशत) के बीच था।

अगस्त 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 12 में से छः स्थानों पर ध्वनि का मासिक औसत स्तर दिन के समय में निर्धारित 75 डेसीबल की सीमा के विरुद्व 95.74 डेसीबल और 83.64 डेसीबल के बीच था।

कम्पनी संयंत्र चालू होने के 30 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी, "पर्यावरण प्रभाव निर्धारण" प्रतिवेदन तैयार करने में विफल रही यद्यपि सीईसीबी ने सहमति प्रदान करते समय (31 मार्च 2014) निर्देशित किया था कि इसे संयंत्र चालू होने के 15 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिये संयंत्र के परिचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(कंडिका 2.10.1, 2.10.2 एवं 2.10.3)

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

कार्य नियमावली तैयार न करना, ऊर्जा लेखापरीक्षा का संचालन न करा पाना, आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी, संयंत्र का बीमा न कराना, एसएपी–ईआरपी प्रणाली में कमी होना

यह इंगित करता है कि कम्पनी में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र की कमी है।

(कंडिका 2.11.1, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5 एवं 2.11.6)

अनुशंसाओं का सारांश

कम्पनी को चाहिए कि:

- **भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही से पहले हमेशा भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तथा आवश्यकता का निर्धारण करें तथा उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करे जो भूमि की प्रकृति का निर्धारण करने में असफल रहे।**
- **वह अपनी भविष्य की परियोजनाओं में अग्रिम जारी करने के संबंध में अनुबंध के नियमों व शर्तों का निर्धारण करते समय अपने वित्तीय हित की रक्षा करें।**
- **समय और लागत वृद्वि और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन हानि को रोकने के लिए कम्पनी को बेहतर योजना, सटीक निगरानी और ठेकेदार और सलाहकारों के साथ उत्कृष्ट तालमेल द्वारा समयबद्ध रूप से तापीय विद्युत संयंत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।**
- **परिचालनात्मक निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करें और उत्पादन लागत को कम करने के लिए कोयले और ऑयल की खपत के संबंध में सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंडों को प्राप्त करें।**
- **पर्यावरण अधिनियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।**
- **एसएपी–ईआरपी प्रणाली के माध्यम से पूर्व क्रियान्वयन गतिविधियों, परियोजना के क्रियान्वयन, नियमों एवं शर्तों का अनुपालन से संबंधित अपने आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत करें।**

3. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 तक, छत्तीसगढ़ में 21 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिसमें 17 कार्यशील कम्पनियाँ, एक कार्यशील सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यशील पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे। 21 राज्य पीएसयूज में से 13 पीएसयूज का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। वर्ष 2017–18 के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, इन कार्यशील पीएसयूज ने ₹ 8,778.13 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर जीएसडीपी के 3.01 प्रतिशत के बराबर था।

(कंडिका 3.1 एवं 3.2)

छत्तीसगढ़ शासन की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 को, इन 21 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,021.54 करोड़ था। इसमें से 13 पीएसयूज (जो इस प्रतिवेदन मे सम्मिलित हैं) में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 626.91 करोड़ था। निवेश में 9.13 प्रतिशत पूँजी एवं 90.87 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। इसमें से छत्तीसगढ़ शासन ने 10 पीएसयूज में ₹ 388.07 करोड़ निवेश किया जिसमें पूँजी ₹ 49.18 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 338.89 करोड़ सम्मिलित थे।

(कंडिका 3.4 एवं 3.11)

लेखों के बकाया

31 दिसम्बर 2018 को नौ कार्यशील पीएसयूज के एक से चार साल तक की अवधि के 15 लेखे बकाया थे। इसके अलावा, एक अकार्यशील पीएसयू के एक लेखे भी बकाया थे। छत्तीसगढ़ शासन ने 10 में से पाँच राज्य पीएसयूज को, जिनके लेखे

31 दिसम्बर 2018 तक अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 2,597.28 करोड़ (अनुदान ₹ 302.43 करोड़ एवं सब्सिडी ₹ 2,294.85 करोड़) प्रदान किये।

(कंडिका 3.8.1)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

इन कार्यरत पीएसयूज का अर्जित लाभ 2015–16 में ₹ 120.76 करोड़ से घटकर 2017–18 में ₹ 93.85 करोड़ रह गया। इन 13 कार्यरत राज्य पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 10 पीएसयूज ने ₹ 94.28 करोड़ लाभ अर्जित किया तथा तीन पीएसयूज ने ₹ 0.43 करोड़ की हानि उठायी। 13 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने 97.38 प्रतिशत लाभ (₹ 91.81 करोड़) अर्जित किया जो कि एकाधिकार के लाभ से अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त होने वाली निश्चित आय थी।

(कंडिका 3.12 एवं 3.12.1)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक निवेश पर प्रतिफल

31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गयी निधियों का वर्तमान मूल्य ₹ 284.74 करोड़ आंकलित किया गया। इन पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश की गयी निधियों की लागत वसूली करने के लिए इन कम्पनियों ने वर्ष 2008–09 से 2017–18 के बीच पर्याप्त लाभ (2012–13 को छोड़कर) अर्जित किया था।

(कंडिका 3.14)

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

2015–18 की अवधि के दौरान एकाधिकार लाभ अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि की सुनिश्चित आय होते हुए, एकाधिकार एवं निश्चित आय क्षेत्र के पीएसयूज की आरओई 3.98 प्रतिशत एवं 14.98 प्रतिशत की सीमा के मध्य रही। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की आरओई मुख्य रूप से सीएमडीसी द्वारा (₹–1.51 करोड़) हानि उठाये जाने के कारण ऋणात्मक थी। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयू (सीएमडीसी) में क्रमशः 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 वर्ष के दौरान ₹ 81.05 करोड़, ₹ 95.16 करोड़ एवं ₹ 179.32 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) निवेश किया था जो कि बकाया था। 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की पीएसयूज की आरओई क्रमशः 0.34 प्रतिशत एवं 1.19 प्रतिशत थी। जो यह दिखाता है कि आईएफएल के रूप में महत्वपूर्ण निवेश की पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी, आरओई प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पीएसयू की आय के अनुरुप नहीं था।

(कंडिका 3.15)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान 13 राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में कमी मुख्य रूप से दो पीएसयूज जैसे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड के लाभ में कमी और तीन पीएसयूज जैसे छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के दीर्घावधि ऋण में वृद्धि होने के कारण हुई थी।

(कंडिका 3.16)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2018 तक, 10 पीएसयूज में से दो पीएसयूज की संचयी हानियाँ ₹ 211.09 करोड़ की थी। उन दो पीएसयूज में से वर्ष 2017–18 में एक पीएसयू की ₹ 0.10 करोड़ की हानि हुई थी और वर्ष 2017–18 में एक पीएसयू को हानि नहीं हुई, यद्यपि इसकी संचयी हानि ₹ 210.59 करोड़ थी। 10 राज्य पीएसयूज, में से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (–) ₹ 205.21 करोड़ था जिसमें से ₹ 4.43 करोड़ की पूँजी निवेश का पूर्णरूप से क्षरण हो चुका था।

(कंडिका 3.17)

लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने राज्य पीएसयूज के लिए कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2015–16 से 2017–18 के दौरान केवल 2.33 प्रतिशत एवं 10.49 प्रतिशत के मध्य रहा। उनमें से नौ राज्य पीएसयूज जिसने ₹ 44.28 करोड़ की शासकीय पूँजी पर ₹ 94.05 करोड़ का एकीकृत लाभ प्राप्त किया था, केवल छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने ₹ 2.41 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया था।

(कंडिका 3.18)

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान अंतिमीकृत किये सभी 14 लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित घोषित किया गया है। चार लेखों में पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना नही करने के सात मामलें थे।

(कंडिका 3.21 एवं 3.22)

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड लोक निर्माण विभाग के डिपाजिट आधार पर सौंपे गए गोदाम के निर्माण कार्य की निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप गोदाम को किराए से लेने के कारण ₹ 1.64 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने 2016–17 की आवश्यकताओं के विरूद्ध वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2017) पुरानी तिथि पर 73.95 लाख मल्टीविटामिन सिरप की बोतलों का क्रय आदेश जारी किया, परिणामस्वरूप 30.81 लाख बोतलों के कालातीत और उच्च दरों पर सिरप क्रय के कारण ₹ 6.84 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.2)

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड ने मुख्यमंत्री टीबी पोषण योजना के तहत एकल अयोग्य बोलीदाता से अत्यधिक उच्च दरों पर, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा योजना के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ₹ 409 प्रति फूड बॉस्केट की लागत से किए गए व्यय को नजर अंदाज करते हुए, क्रय किया। कम्पनी ने प्रारंभ में ₹ 1,039.50 प्रति फूड बास्केट की उच्च दर पर क्रय आदेश दिया जिसे छत्तीसगढ़ शासन से कम राशि की प्राप्ति के कारण कम कर ₹ 892.50 किया गया और लेखापरीक्षा के द्वारा बताये जाने के बाद इसे कम कर ₹ 714 कर दिया गया। परिणामस्वरूप ₹ 5.04 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3)